कार्यालय अधिष्ठाता,
पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय,रायपुर(छ.ग.)

परिशिष्ठ-2

(नियम 4.4.2)

अल्प निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा विज्ञप्ति कमांक 9040 रायपुर,दिनांक...22/7/20

छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पंजीकृत केटरर्स एवं एजेंसियों से पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर(छ.ग.) के कोरोना लैब में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भोजन व्यवस्था हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से आवेदन प्रस्तुत कर रू. 500/- नगद भुगतान कर भोजन प्रदाय करने हेतु मोहरबंद निविदाऐं आमंत्रित की जाती है।

निविदा बिकी की अंतिम तिथि 04.08.2020 समय 5 बजे

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 05.08.2020 समय 3:30 बजे

निविदा खोलने की तिथि 05.08.2020 समय 4:00 बजे

स्थान अधिष्ठाता कार्यालय, पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर(छ.ग.)

अधिष्ठाता 7/20

पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय

रायपुर(छ.ग.)

कार्यालय अधिष्ठाता

पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय,रायपुर(छ.ग.)

क्रमांक/चिकि./क्रय/2020/ १०५० रायपुर,दिनांक.....22/7/20

प्रति,

आयुक्त,
जनसम्पर्क विभाग,
विज्ञापन शाखा
इंद्रावती भवन, नया रायपुर(छ.ग.)

विषय:-निविदा प्रकाशन के संबंध में।

-----000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस महाविद्यालय के कोरोना लैब में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये भोजन व्यवस्था करने हेतु निविदाऐं आमंत्रित की जानी है, अतएव निविदा प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है। कृपया इसे बहुप्रसारित प्रदेशस्तरीय एवं एक राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में अतिशीघ्र प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।

संलग्न :- निविदा विज्ञप्ति।

22/7/20
अधिष्ठाता
पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
रायपुर(छ.ग.)

कार्यालय अधिष्ठाता
पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/चिकि/क्रय/9040 रायपुर दिनांक 22/7/20

निविदा सूचना एवं शर्ते

पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में कार्यरत कोविड–19 कार्य से जुड़े चिकित्सकों एवं कर्मचारियों हेतु भोजन प्रदाय ठेके पर देने हेतु केटरर्स एवं एजेंसियों छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा पंजीकृत हो तथा मेडिकल कालेज सम्बद्ध चिकित्सालय या समकक्ष चिकित्सालय में कम से कम एक वर्ष का भोजन बनाने एवं प्रदाय करने का अनुभव हो, से निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा एक वर्ष की अवधि के लिए आमंत्रित की जा रही हैं। निविदा स्वीकृत होने पर कार्यादेश छः माह की अवधि के लिए जारी किया जायेगा। इस अवधि में समय–समय पर उसके कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा। कार्य उत्तम होने पर ही उसे शेष छःमाह का कार्यादेश जारी किया जायेगा अन्यथा निविदा पुनः की जायेगी।

1 निविदा का निर्धारण गुणवत्ता के आधार पर होगा। अतः मीनू में शामिल सामग्री की सूची दर ब्रांड सहित मानकर प्रयुक्त सामग्री का दर ब्राण्ड तथा प्रचलित बाजार दर दर्शाते हुए दर औचित्यपूर्ण होना चाहिए।

2 निविदाकर्ता को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत् पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

3 निविदाकर्ता का तीन वर्ष का टर्न–ओव्हर कम से कम रू. 50 लाख होना चाहिये।

4 सामग्री का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करना होगा। प्रयुक्त सामग्री का सत्यापन प्रयोग के पूर्व कराना होगा।

5 प्रतिदिन का निर्धारित मीनू एक दिन पूर्व ही निर्धारित कर कितना आवश्यक होगा यह संबंधित विभाग द्वारा सूचित किया जावेगा।

6 ऐसे निविदाकर्ता जिन्होने पूर्व में चिकित्सालय में भोजन प्रदाय करने का कार्य किया था परंतु उनका कार्य असंतोषजनक था उनकी निविदा पर विचार नही किया जायेगा एवं उनकी निविदा को अमान्य करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय को रहेगा।

7 निविदा की अवधि स्वीकृति की दिनांक से एक छःमाह की होगी। निविदा की अवधि आवश्यकतानुसार तीन माह के लिए दोनों पक्षों की सहमति से बढ़ायी जा सकती हैं।

8 यदि निविदा दाता स्वयं सेवायें बंद करना चाहता हैं तो उसे एक माह का नोटिस देना होगा। निविदा अवधि के पूर्व सेवाओं को समाप्त करने के एवज में सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी।

9 भोजन सामग्री प्रतिदिन नियमित रुप से निर्धारित समय से प्रदाय करना होगा। तथा प्रतिदिन प्रदाय की गई सामग्री का सत्यापन कराना होगा। प्रतिदिन प्रदाय किये जाने वाले भोजन में

21.7.2020

प्रत्येक भोज्य सामग्री कम प्रदाय करने पर भुगतान राशि से जुर्माना 10% प्रति सामग्री प्रति थाली/आनुपातिक रूप से लागु दर के अनुसार कटौती की जावे लगातार 07 दिनों तक किसी भी भोज्य सामग्री के वितरण में कमी किये जाने पर जुर्माना राशि दुगुनी या दोगुनी आनुपातिक दर अनुसार देयक में कटौती की जायेगी।

10 निविदाकर्ता को समस्त Cooks, कर्मचारी एवं सफाई कर्मचारी रखकर स्वस्थ्य तथा व्यवस्थित ढंग से भोजन पकाना, रसोईघर की सफाई करवाना व भोजन वितरण करवाना होगा।

11 निविदादाता द्वारा प्रदाय किये जाने वाले देयक का भुगतान सत्यापन उपरांत नियमानुसार कोषालय से आहरण कर दिया जावेगा। इसमें विलंब पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

12 चिकित्सा महाविद्यालय प्रशासन समय-समय पर कार्यस्थल का निरीक्षण करेगा एवं उसके द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी के निर्देश का पालन निविदा दाता को करना होगा।

13 खाद्य सामग्री के परीक्षण नियमानुसार नगर निगम अथवा अन्य सक्षम जांच अधिकारी द्वारा समय-समय पर किया जावेगा।

14 सुरक्षा निधि- ऐसा निविदाकार जिसकी निविदा स्वीकृत होगी, उसे छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमानुसार 5 प्रतिशत सुरक्षा निधि जमा करना होगा।

15 अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर छ.ग. किसी भी निविदा को बिना किसी कारण को दर्शाये किसी एक मद अथवा सम्पूर्ण निविदा को स्वीकारने अथवा निरस्त करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हैं।

16 निविदादाता को दिए गये प्रारूप में अनुबंध करना होगा।

17 प्रदाय किये जाने वाली पैक्स में मीनू की अनुसार मात्रा का होना चाहिए। पैक्स आईटम्स ब्रांडेड प्रदान किया जावेगा। पैकेट पर निर्माण तिथि अंकित होना चाहिये। ब्रॉड का अनुमोदन अधिष्ठाता से प्राप्त करना होगा।

18 निविदाकर्ता को गत तीन वित्तीय वर्ष की आय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

19 द्वितीय पक्षकार द्वारा पाक कक्ष, भोजन कक्ष, भंडार कक्ष, धुलाई कक्ष एवं परिवेश की धुलाई साफ सफाई सुनिश्चित करेगा और सफाई में फिनाइल आदि का प्रयोग आवश्यक रूप से करेगा। कोविड संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगा।

20 द्वितीय पक्षकार द्वारा नियोजित कर्मचारी को नियन्त्रण एवं अनुशासन में रखने उनके द्वारा धूम्रपान एवं मादक पदार्थ का सेवन न करने तथा किसी भी अनुचित गतिविधियों में संलग्न न रहने सुनिष्चित करने का दायित्व द्वितीय पक्षकार का होगा, इनके द्वारा कोई अपराध किये जाने पर द्वितीय पक्षकार उत्तरदायी होगा।

21 जिस किसी कर्मचारी के संबंध में संस्थान को आपत्ति होगी उसे बदलने के लिये ठेकेदार बाध्य होगा।

22 गुणवत्ता संबंधी प्राप्त शिकायत एवं सुझाव के अनुसार चिकित्सालय द्वारा निर्देशित किये जाने पर ठेकेदार द्वारा आवश्यक सुधार करना होगा। टेस्टिंग रजिस्टर में दिए गए टीप अनुसार आवश्यक सुधार करना होगा।

Sudha 21.7.2020

23 मूंग दाल या राहर दाल का प्रयोग ही किया जावेगा।
24 टूटें हुए चावल का उपयोग नहीं किया जायेगा।
25 रोटी बनाने के लिए आटा के साथ मैदा नहीं मिलाया जायेगा।

26 सप्ताह में तीन बार से ज्यादा एक ही सब्जी नही बनाई जावेगी। सुबह की सब्जी शाम को नही बनाई जावेगी। शाम को बनाई गई सब्जी दूसरे दिन सुबह नहीं बनेगी।

27 निविदाकार को सभी दस्तावेज एफ.डी.आर. सहित प्री–क्वालीफिकेशन बिड ओपनिंग के पूर्व सीलबंद लिफाफे में अधिष्ठाता, कार्यालय पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में जमा करना होगा जिससे लोड किये दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सके।

28 निविदकर्ता द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र की जगह कार्यादेश लगाने पर निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।

29 निविदाकर्ता को उपरोक्त सामग्रियों के सेम्पल प्री–क्वालीफिकेशन बीड खोलने की तिथि तक कार्यालय में जमा करना होगा। सेम्पल नहीं जमा करने पर उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

30 हस्तलिखित निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

31 निविदा के मुख्य लिफाफे के अन्दर तीन पृथक लिफाफा निम्नानुसार होना चाहिए।

32 निविदकर्ता को उपरोक्त सामग्रियों के सेंपल प्री–क्वालीफिकेशन बिड खोलने की तिथि तक कार्यालय में जमा करना होगा। सेंपल नही जमा करने पर उसकी निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं। जिसमें

i प्री–क्वालीफिकेशन बिड

प्री–क्वालीफिकेशन बिड :–निम्नलिखित दस्तावेज नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। सभी दस्तावेज स्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिए। अस्पष्ट एवं अपठनीय दस्तावेजों को अमान्य कर दिया जायेगा।

1. निविदाकर्ता के फर्म/एजेंसी का नाम एवं पूर्ण पता (र्वतमान प्रूफ सहित इलेट्रिकल बिल/टेलीफोन बिल इत्यादि)।

2. कंपनी/एजेंसी के मालिक एवं भागीदारों का नाम पूर्ण पता, दूरभाष, ई–मेल/फेक्स क्रमांक सहित। (फ्रूफ सहित–इलेट्रिकल बिल/टेलीफोन बिल)

3. निविदाकर्ता का PAN CARD (यदि फर्म में एक से अधिक भागीदार हैं तो सभी भागीदारों के पेन कार्ड)।

4. कंपनी/एजेंसी का विगत 3 वर्षो का सी. ए. द्वारा प्रदत्त टर्न ओव्हर रू. 50.00 लाख।

5. कंपनी/एजेंसी की 2017–2018 की आडिटेड बैंलेस शीट।

6. कंपनी/एजेंसी की 2018–2019 की आडिटेड बैंलेस शीट।
7. कंपनी/एजेंसी की 2019–2020 की आडिटेड बैंलेस शीट।
8. शासकीय चिकित्सालय या समकक्ष संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र।
9. छ.ग.शासन के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
10. निविदाकर्ता को 50,000/– पचास हजार रुपयें की अर्नेस्ट मनी F.D.R. के रूप में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शेड्यूल बैंक का जो अधिष्ठाता, पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के पक्ष में देय हो, को प्री–क्वालीफिकेशन बिड खोलने की पहले की तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा।
11. परिशिष्ट एक के अनुरूप शपथ पत्र (निर्धारित प्रोफार्मा में)।
12. कम्पनी/एजेंसी का सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर।

<u>ii टेक्नीकल बिड :–</u>

टेक्नीकल बीड – लिफाफे के उपर टेक्नीकल बिड लिखा होना चाहिए।

1. निविदाकर्ता को टेक्नीकल बिड में कच्चा भोज्य सामग्री यथा दूध, अनाज, आटा, मसाले, तेल आदि रजिस्टर्ड ब्रान्डेड हो (फल व हरी सब्जी को छोड़कर) के ब्रान्ड नेम, कम्पनी इत्यादि की जानकारी देना होगा जैसे दूध किस कम्पनी/ब्रान्ड का रहेगा।

ii प्राइस बिडः–

1. प्राइस बिड– लिफाफे के उपर प्राइस बिड लिखा होना चाहिए। भोजन प्रदाय के मीनू के समक्ष निवेदित किया हुआ मूल्य समस्त टैक्सों के सहित दिए प्रारूप में होना चाहिए।

33. निर्धारित तिथि को निविदाकर्ताओं के समक्ष प्री–क्वालीफिकेशन बिड को खोला जायेगा। प्री–क्वालीफिकेशन बिड में सफल निविदाकारों की तकनीकि बिड द्वितीय चरण में खोली जायेगी।

37. निविदा मूल्यांकन :– (Tender Evaluation)

निविदा के लिये प्राप्त लिफाफे अ और ब को एक क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा तथा मदवार निम्नानुसार चयन क्रम दर्शाया जावेगाः–

1. First Preference – L1
2. Second Preference – L2
3. Third Preference – L3

इस विषय में अधिष्ठाता, पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर एल–1 को आदेश देने का तथा इस आधार पर अन्य सफल निविदाकारों से मूल्य पर मोलभाव वार्ता करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

38. तकनीकि बिड मे सफल निविदाकारों की प्राईस बिड उनके या उनके द्वारा अधीकृत प्रतिनिधियों के समक्ष तृतीय चरण में खोली जायेगी।

अधिष्ठाता
पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
रायपुर, छत्तीसगढ़

शपथ पत्र

मैं/हम..जिनकी संस्था/दुकान..
.............पता..जो कि निविदाकार हैं, हम यह घोषणा भर्ती मरीजों हेतु भोजन प्रदाय एवं जननी सुरक्षा कार्यक्रम के तहत् भोजन प्रदाय हेतु निविदा के संदर्भ में कर रहे हैं, तथा यह घोषित करते है कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य एवं सही है। इस संदर्भ में, महाविद्यालय प्रशासन/निविदाकर्ता, को जब इस निविदा के संदर्भ में किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी, हमारे द्वारा प्रदाय की जावेगी। मैं छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम का पालन करूंगा। हमे निविदा में दी गई सभी शर्ते एवं नियम स्वीकार हैं। हम निविदाकर्ता के बिना कारण बताये निविदा के स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार को स्वीकार करते है तथा हम उनके उक्त निर्णय को चुनौती देने के अधिकार का त्याग करते है।

सधन्यवाद

निविदाकार

दिनॉक

हस्ताक्षर ....

समय

हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम ....

Sushma 21.7.2020

Pre qualification bid

S.No.	Name of Prequalification Document
1	Name & Adress of company /agency with telephone & fax number and proof (current electric/telephone bill)
2	Name & Adress of owner & partners of company /agency with telephone & fax number and proof (current electric/telephone bill)
3	Scanned copy of PAN card of bidder and partners
4	C. A. Certified Annual Turn over for last 3 financial year
5	Audited balanced sheet for 2017-2018 yrs
6	Audited balanced sheet for 2018-2019 yrs
7	Audited balanced sheet for 2019-2020 yrs
8	Experience Certificate
9	Scanned copy of EMD
10	Affidavit as per annexure -1

Sushma 21.7.2020

Annexure –II

Breakfast Time 8.30AM to 9.30 AM

One dish like poha/ Upma/ Idli vada mix/ Puri Bhaji/
Chhole-Bhature (self Serving counter)

Tea
One Glass Milk 250ml
One Boiled Egg Each

Lunch time at 01.30 PM (In Take away Box)

04 Chapati
01 Plate Rice
Dal Fry/Dal Makhni
01 Vegetable Dry
01 Vegetable with Gravy
Pickle/Salad/Papad/Raita
200 ml Mineral Water
01 Dessert/Sweet

Evening Tea and Cookies 5.00 PM

Dinner @ 8.30 PM (in take away box)

Same as lunch but Vegetable will be change

Sushma
21.7.2020